# आयुक्त न्यायालय, सारण प्रमंडल, छपरा।

**सेवा अपीलवाद सं0-68/2022**

विनोद गिरी

बनाम्

बिहार राज्य एवं अन्य (द्वारा जिला पदाधिकारी, गोपालगंज)

## आदेश

01.04.2024

प्रस्तुत सेवा अपीलवाद C.W.J.C. No.11767/2019 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 30.03.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में इस स्तर पर लाया गया है।

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का मुख्य अंश निम्नांकित है:-

*".....The petitioner has approached this Court without exhausting the remedy of appeal against the order of dismissal. Hence, the present petition is premature.*

*Accordingly, writ petition stands dismissed, reserving liberty to the petitioner to prefer appeal before the appellate authority.*

*The appellate authority is hereby directed to take note of section 14 of the Limitation Act for the purpose of condonation of delay in filing appeal."*

2. प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विषय-वस्तु यह है कि अपीलकर्ता श्री विनोद गिरी, पिता-रामायण गिरी, ग्राम-भोपतपुर, थाना-कुचायकोट, जिला-गोपालगंज, हल्का नं0-5/4 में चौकीदार के पद पर प्रतिनियुक्त थे। चेक पोस्ट बलथरी, कुचायकोट पर अपीलकर्ता कर्तव्य के दौरान नशे में पाए जाने के आरोप के लिए अपीलकर्ता को गिरफ्तार कर उनकी चिकित्सीय जाँच सदर अस्पताल, गोपालगंज में करायी गयी, जिसमें उनके द्वारा शराब का सेवन किए जाने का आरोप सही पाया गया। अपीलकर्ता को **बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37(सी0)** के उल्लंघन का आरोपी पाते हुए उनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन का आदेश दिया गया। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, गोपालगंज को संचालन पदाधिकारी तथा अंचल अधिकारी कुचायकोट को उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया। विभागीय कार्यवाही के पश्चात प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के आलोक में अपीलकर्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा की मांग की गयी। अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत द्वितीय कारण-पृच्छा के समीक्षोपरांत उसे असंतोषजनक पाया गया। इस क्रम में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के आदेश ज्ञापांक-153/सा0, दिनांक 31.01.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली 2007 के नियम 14 (XI) के तहत अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का दण्ड दिया गया। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष C.W.J.C. No.11767/2019 दायर किया गया, जिसमें दिए गए आदेश के अनुपालन में वाद इस स्तर पर सुनवाई हेतु लाया गया है।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता- उपस्थित। विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तारपूर्वक सुना।



Scanned with CamScanner

3. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपना पक्ष रखते हुए अपने उपर लगाए गए सभी आरोपों से इन्कार किया गया। उनके द्वारा कहा गया कि अपीलकर्ता द्वारा अपने कर्तव्य पर कभी भी शराब का सेवन नहीं किया गया है और न ही उनके विरूद्ध पूर्व में किसी प्रकार का कोई शिकायत अथवा आरोप लगा है। प्रस्तुत मामलें में उन्हें पुलिस बैरक से आराम करने के दौरान गिरफ्तार किया गया है तथा उनपर लगाए गए आरोपों की प्रति भी उन्हें उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस क्रम में उनके द्वारा आगे कहा गया कि बलथरी चेकपोस्ट पर ड्यूटी के उपरांत जब अपीलकर्ता अपने बैरक में सोए थे तो उस क्रम में उन्हें गिरफ्तार कर कुचायकोट थाना लाया गया और ब्रेथ एनालाइजर से उनकी जाँच की गयी। ब्रेथ एनालाइजर से शराब पीने की पुष्टि नहीं होने पर अपीलकर्ता को चिकित्सीय जाँच हेतु प्राथमिक स्वस्थ केन्द्र कुचायकोट भेजा गया परंतु चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं करायी गयी है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया गया कि जब ब्रेथ एनाइजर की जाँच में शराब पीने का रिर्पोट नहीं आया तो अस्पताल में जाँच कराकर उन्हें फसाया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि विभागीय कार्यवाही के दौरान इस सभी बिन्दुओं पर उनके द्वारा अपना पक्ष रखा गया था परंतु उक्त पर ध्यान नहीं देते हुए उन्हें सेवा से बर्खास्तगी का वृहद दंड दिया गया है, जो बिहार चौकीदारी मैनुअल Clause-164, sec-VIII का उल्लंघन है।

4. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बिहार चौकीदारी मैनुअल के Clause-164, sec-VIII को अद्त करते हुए कहा गया कि,

".....Under section 38 of the Act (Act XLV of 1860) every Chaukidar who may be guilty of any wilful misconduct in his office or neglect of his duty, such misconduct or neglect not being an offence within the meaning of the Indian Penal Code and not being of so grave a character as, in the opinion of the District Magistrate, to require his dismissal, shall be liable to a fine which shall not exceed the amount of one month's salary. "

उक्त के आधार पर अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अनुरोध किया गया कि जिला पदाधिकारी, गोपालगंज द्वारा वाद के संपूर्ण पक्षों पर विचार किए बिना त्रुटिपूर्ण आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाय तथा प्रस्तुत अपील आवेदन को स्वीकृत किया जाए।

5. विद्वान सरकारी अधिवक्ता द्वारा वाद के संबंध में बताया गया कि अपीलकर्ता श्री विनोद गिरी, कुचायकोट थाना के हल्का नं0-5/4 में चौकीदार के पद पर प्रतिनियुक्त थे। चेक पोस्ट बलथरी कुचायकोट पर अपने कर्तव्य के दौरान अपीलकर्ता नशे की हालत में पाए गए जिनकी चिकित्सीय जाँच सदर अस्पताल में करायी गयी। डा0 आर0एल0 प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, कुचायकोट का प्रतिवेदन दिनांक 08.10.2018 में अपीलकर्ता के शराब पिए जाने की पुष्टि की गयी है। अपीलकर्ता को **बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा 37(सी0)** का उल्लंघन का आरोपी पाते हुए उनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' का गठन किया गया तथा विभागीय कार्यवाही का संचालन किया गया। विभागीय कार्यवाही में उनके विरूद्ध आरोप प्रमाणित पाया गया है। इस क्रम में



Scanned with CamScanner

अपीलकर्ता से द्वितीय कारण-पृच्छा प्राप्त किया गया है, तदनुसार उक्त पर विचारोपरांत **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2007 के नियम 14(xi)** में निहित प्रावधानों के आलोक में अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्तगी का वृहद दंड दिया गया है।

6. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सरकारी अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना तथा अभिलेख पर उपलब्ध कागजात एवं जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के प्रश्नगत आदेश का अवलोकन किया।

उक्त के अवलोकन में निम्नांकित तथ्य प्रकाश में आते हैः-

(i) संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी के प्रश्नगत आदेश में Breath Analyser के विषय में कुछ भी अंकित नहीं किया गया है। ऐसे में अपीलकर्ता द्वारा Breath Analyser के विषय में प्रश्न उठाया जाना बेबुनियाद है, जिसपर विचार की कोई आवश्यकता नहीं है।

(ii) अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह कहा गया कि जिला पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश में Bihar Chaukidari Mannual के clause 164 पर विचार नहीं किया गया है जबकि **बिहार चौकीदार संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2019 के कंडिका (9)** में नियुक्ति प्राधिकार द्वारा संवर्ग के कर्मियों के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली, 2005 के प्रावधानों के तहत अनुशासनिक कार्रवाई का स्पष्ट प्रावधान किया गया है।

अपीलकर्ता को **Bihar Prohibition and Excise Act, 2016** के **Sec. 37** के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, जो निम्नलिखित है।

> **37. Penalty for consumption of liquor.**- Whoever, in contravention of this Act or the rules, notification or order made there under-
> (a) consumes liquor or intoxicant in any place; or
> (b) is found drunk or in a state of drunkenness at any place; or
> (c) drinks and creates nuisance or violence at any place including in his own house or premises; or
> (d) permits or facilitates drunkenness or allows assembly of drunken elements in his own or premises; shall be punishable.

जिला पदाधिकारी के आदेश में अंकित है कि *'प्रपत्र 'क' में आरोपी के विरूद्ध लगाए गए आरोप, आरोपी पदाधिकारी से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी के मंतव्य से स्पष्ट होता है कि आरोपी अपने कर्तव्य के दौरान शराब के नशे में पाया गया। इनके द्वारा शराब पीने की पुष्टि स्थानीय विकित्सक के जाँच प्रतिवेदन से भी स्पष्ट होता है।* जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक-1256/सा0, दिनांक 26.05.2023 के द्वारा अपीलकर्ता के Medical report की प्रति उपलब्ध करायी गयी है, जो अभिलेख पर उपलब्ध है।

जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार अपीलकर्ता को **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976** के नियम 3(i)(ii)(iii) तथा **बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976** के



Scanned with CamScanner

संशोधित नियमावली 2017 के नियम 04 के तहत दोषी पाया गया है तथा **बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) संशोधन नियमावली, 2007 के नियम 14(xi)** के तहत दंडित किया गया है।

(iii) लेकिन सुनवाई के क्रम में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का पक्ष है कि चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति अपीलकर्ता को उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस क्रम में अपर समाहर्त्ता-सह-संचालन पदाधिकारी, गोपालगंज के ज्ञापांक-30(मु0)/रा0, दिनांक 24.10.2018 द्वारा अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण की मांग किए जाने का साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध है, परंतु उक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि अपीलकर्ता को चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराया गया है अथवा नहीं। संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत स्पष्टीकरण में भी अपीलकर्ता द्वारा चिकित्सीय जाँच प्रतिवेदन की प्रति अप्राप्त रहने का उल्लेख किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि अपीलकर्ता को अपना बचाव पक्ष रखने हेतु उन्हें अपने Medical Report की प्रति उपलब्ध नहीं करायी गयी है, जो Natural law of justice के प्रावधानों के विपरीत है।

अतः जिला पदाधिकारी, गोपालगंज को इस निदेश के साथ वापस किया जाता है कि अपीलकर्ता को चिकित्सीय जाँच की प्रति उपलब्ध कराते हुए उनसे पुनः कारण-पृच्छा प्राप्त कर लिया जाय एवं प्राप्त कारण-पृच्छा पर सम्यक विचारोपरांत सकारण आदेश पारित किया जाय।

तदनुसार, प्रस्तुत वाद का निस्तार किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।

आयुक्त

सारण प्रमंडल, छपरा।



Scanned with CamScanner